(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना संख्या 9/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 28 मई, 2018

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–1 में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

दिनांक 01.04.2015 से विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय–1 के पैरा 1.40 के बाद निम्नलिखित पैरा को शामिल किया जाता है।

"1.41 रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, खेलकूद के सामान और खिलौने के लिए कतिपय विशेष फोकस पहलों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को निम्नलिखित शुल्क मुक्त (दिनांक 01.07.2017 से केवल मूल सीमा शुल्क) हकदारी प्रदान की जा रही है:

i. हथकरघा

क. विशिष्ट कतरनों और सजावटों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगी। हथकरघा और मेडअप्स को हकदारी में शामिल किया गया है।

ख. हाथ से बुनी हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक होगी।

ii. हस्तशिल्प

क. औजारों, कतरनों और सजावटों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगी। हकदारी सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

2

ख. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जिनके लिए सीधे आयात करना व्यावहारिक नहीं है, कतरनों, सजावटों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए अधिकृत है।

iii. चमड़ा और जूते

क. विनिर्दिष्ट मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़े के वस्त्र के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक होगी।

ख. जूतों (चमड़े के और सिंथेटिक दोनों), दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए कतरनों, सजावटों और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक होगी। ऐसी हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे प्रिन्टेड और गैर–प्रिन्टेड जूते के बाक्स, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

iv. समुद्री क्षेत्र

विनिर्दिष्ट विशिष्ट निविष्टियों/रसायनों और सुगंधित तेलों का शुल्क मुक्त आयात पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।

v. खेलकूद का सामान और खिलौने

विनिर्दिष्ट विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक दी जाएगी।

तथापि, से ऊपर विनिर्दिष्ट शब्द ''शुल्क'' का अर्थ 01.07.2017 ''मूल सीमा शुल्क'' होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः क्षेत्र विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी जो विदेश व्यापार नीति 2009–14 के अध्याय 1ख में उपलब्ध थी, को दिनांक 01.04.2015 से विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के अध्याय 1 में पुनः शामिल किया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/94/180/13/एएम–17/पीसी–1 से जारी]